



श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश
ग्वालियर के न्यायालय में

निगरानी प्रकरण क्र. : R-3625-PBR/2014

1. बाबुलाल पिता गणपतजी रघुवंशी
2. हेमसिंह पिता रामाजी जाति धाकड़
3. श्रीमती कमलाबाई पति भंवरसिंह धाकड़
4. श्रीमती सीताबाई पति रामसिंह रघुवंशी
5. मुकुन्द पिता बोन्दरसिंह रघुवंशी
6. श्रीमती मीराबाई पति बाबुलाल रघुवंशी,
सभी निवासी-ग्राम अकोलिया तहसील व
जिला धार (म.प्र.)

598/19-09-2014

विरुद्ध

.....प्रार्थीगण
बी.योगेश्वर पति
प्रार्थी/अभिभावक द्वारा दिनांक 19/09/2014

1. राजेश पिता कल्याणमजी अग्रवाल
निवासी-102, जानकी नगर एक्सटेंशन,
इन्दौर (म.प्र.)
2. जगदीश पिता श्री दुलेसिंह रघुवंशी
3. हरिसिंह पिता श्री भेरुसिंह रघुवंशी
दोनो निवासी-ग्राम बरदरी तहसील व
जिला धार (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959


श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसीलदार जिला धार के प्रकरण
कमांक 2/अ-13/2013-14 में पारित प्रारंभिक आदेश दिनांक
11/07/2014 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित
आधारों पर प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 3625-पीबीआर/14

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-5-2015	<p>आवेदकगण की ओर से श्री एच0एन0 फड़के अभिभाषक उपस्थित । तहसीलदार के आदेश दिनांक 11.7.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में प्रारंभिक आदेश पारित किया गया है, और प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाना है । अतः प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे 3 माह में आवश्यक रूप से प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करें । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	